**अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.**
**दीपाली भगोतिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर**

1. चन्द्रमोहन पुत्र भौरीलाल
2. राकेश पुत्र भौरीलाल
3. नवल किशोर पुत्र भौरीलाल
4. कु. आशा पुत्री भौरीलाल
5. कु. सन्जू पुत्री भौरीलाल
   समस्त जाति हरि. ब्राहमण
   निवासी भाजुपुरा तह.

**बनाम**

1. भौरीलाल पुत्र लक्ष्मण (मृतक)
2. महेश पुत्र भौरीलाल
   जाति हरि. ब्राहमण निवासी
   भाजुपुरा तह. बस्सी।
3. कलावती पुत्री भौरीलाल पत्नि
   सुरेश चन्द पुत्र जगदीशनारायण
   जाति हरि. ब्राहमण निवासी
   पीथावतों की ढाणी, दौसा रोड,
   डिडवाना तह. लालसोट।
4. श्रीमति देवी पुत्री भौरीलाल पत्नी
   कैलाश चन्द जाति हरि. ब्राहमण
   निवासी रोहिताशपुरा तह. बस्सी
5. उपपंजीयक बस्सी जिला जयपुर
6. तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर

**प्रार्थना पत्र बावत अस्थाई निषेधाज्ञा**

मुकदमा नम्बर 49/16 निर्णय दिनांक 08.02.2018

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी सं0 1 से 5 को ता फैसला वाद तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि ग्राम भाजुपुरा पटवार हल्का मनोहरपुरा तह. बस्सी में स्थित ख0नं0 27, 42, 64, 65, 69, 79, 103 कुल किता 7 कुल रकबा 20 बीघा 8 बिस्वा के 1/3 हिस्सा की भूमि का विक्रय किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करे एवं उक्त आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे। अप्रार्थीगण के कब्जकाश्त में, उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। प्रार्थीगण के दादा के हिस्से 1/3 की खातेदारी वाली कृषि भूमि का नामान्तरण अकेले अप्रार्थी सं. 1 से 4 के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं करें। प्रार्थीगण के पक्ष में मृतक लक्ष्मण की हिस्से की भूमि का 5/9 हिस्सा का नामान्तरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज करें। कृषि भूमि का पंजीयन किसी विक्रय पत्र के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति के हक में नहीं करे।

उक्त प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी सं0 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि ख0नं0 27, 42, 64, 65, 69, 79, 103 कुल किता 7 कुल रकबा 20 बीघा 8 बिस्वा ग्राम भाजुपुरा तह0 बस्सी जिला जयपुर में स्थित है के 1/3 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार निर्विवाद रुप से लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण रहा है। लक्ष्मीनारायण का देहावसान दिनांक 08.07.2007 को हो चुका है। मृतक लक्ष्मीनारायण को उपरोक्त वर्णित भूमि बजमाने जागीर व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के समय बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त होने से विधि के प्रावधानों के तहत खातेदारी हक अधिकार प्राप्त हुए है। मृतक लक्ष्मीनारायण ने अपनी उपरोक्त वर्णित स्वअर्जित भूमि की व्यवस्था अपने जीवनकाल में ही जरिये पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 30.08.99 के द्वारा कर वादग्रस्त भूमि में उसके 1/3 हिस्से की भूमि के हिस्से की वसीयत मिन अप्रार्थी उत्तरदाता व 1/2 हिस्से की वसीयत अपनी पत्नि श्रीमति नारायणी देवी के नाम कर वारिस बना दिया था श्रीमति नारायणी देवी का देहावसान हो जाने के कारण उसके 1/2 हिस्से की भूमि का एकमात्र वारिस अप्रार्थी सं0 1 है जो उसका पुत्र है। प्रार्थीगण का कोई संबंध व सरोकार वादग्रस्त भूमि से नहीं है। लक्ष्मीनारायण की मृत्यु के पश्चात मिन अप्रार्थी ने जरिये वसीयत विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर

contd ... 2

सुनवाई की कार्यवाही प्रारंभ की गई जिसमें प्रार्थीगण को भी सूचना नोटिस दिया गया प्रार्थीगण कार्यवाही में उपस्थित हुए तथा जरिये अधिवक्ता पैरवी करते रहे है। कार्यवाही प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व की है जो तहसीलदार बस्सी के समक्ष विचार है। परन्तु प्रार्थीगण उक्त कार्यवाही को पूरा नहीं होने देना चाहते थे तथा इसी उददेश्य उन्होने गलत तथ्यों के आधार पर मान्य न्यायालय में दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेध प्रस्तुत कर एकपक्षीय निषेधाज्ञा प्राप्त कर विरासत के नामान्तरकरण की कार्यवाही को रु दिया, जबकि कानूनन विरासत को पेन्डिग नही रखा जा सकता। प्रार्थीगण मान्य न्याय से कोई सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। मिन उत्तरदाता के हक में मृतक ल उर्फ लक्ष्मीनारायण द्वारा अपनी भूमि के 1/2 हिस्से की पंजीकृत वसीयत तहरीर तकमीलकरा दिनांक 30.08.99 को उप पंजीयक बस्सी के समक्ष विधिवत पंजीकृत कराई जिसके अस्तित्व में रहते राजस्व न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार वादग्रस्त भूमि के संबंध नही रहते है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज योग्य है। वक उभय पक्षों की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन एवं वकील उभय पक्षों की प्रार्थना पत्र पर बहस सु वकील पक्षकार द्वारा प्रस्तुत कानुनी नजीरों का अध्ययन करने के पश्चात हम इस निष पर पहुंचे है कि वादग्रस्त आराजी ख0नं0 27, 42, 64, 65, 69, 79, 103 कुल किता 7 रक 20 बीघा 8 बिस्वा स्थित ग्राम भाजुपुरा तह0 बस्सी जिला जयपुर के संबंध में अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रखा जाना उचित नहीं समझते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना प अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा दिनांक 25.09.2007 को ज स्थगन आदेश प्रभाव शून्य होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होव मूलवाद के साथ हमफीता हो।

8.2.18

**सहायक कलक्टर एवं**
**कार्यपालक मजिस्ट्रेट**
**बस्सी**